न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राकेश कुमार शर्मा, आर0ए0एस0

खाद्य सुरक्षा परिवाद सं. 03/2019

प्रार्थी–
राजस्थान सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर

बनाम

अप्रार्थी–
1. सुलेमान खान पुत्र पांधी खान जाति मुसलमान निवासी आकल कारटिया, बाड़मेर (मैसर्स धारेजा किराणा स्टोर सेड़वा जिला बाड़मेर का मालिक)
2. सुनिल कुमार बोथरा पुत्र रतनलाल बोथरा जाति जैन निवासी जूनी चौकी, खागल मौहल्ला बाड़मेर (मैसर्स जय मां वांकल ट्रेडर्स हमीरपुरा बाड़मेर हाल गडरा चौराहा बाड़मेर का मालिक)
3. जीगर पटेल पुत्र मफतलाल निवासी अलंकार कॉलोनी, धमशाना, गांधीनगर, गुजरात (मैसर्स स्वागत प्रोडक्ट शेड न0 145/146ए शिवम एस्टेट, छत्राल कालोल, गांधीनगर गुजरात का सोल प्रोपराईटर)

परिवाद अन्तर्गत धारा 26(2)(ii) सहपठित धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006

उपस्थिति :–

1. अभियोजन अधिकारी प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री मुकेश जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1व2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री कपिल चौधरी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 3 की ओर से उपस्थित।

आदेश

दिनांक : 16.03.2020

1. प्रार्थी की ओर से यह परिवाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा धारा 26 की उप धारा (2)(i) के उल्लंघन के फलस्वरूप धारा 51 खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद के संक्षिप्त तथ्य यह है कि दिनांक 21.02.2018 को प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान मैसर्स धारेजा किराणा स्टोर सेड़वा जिला बाड़मेर का निरीक्षण करने पर विक्रय हेतु अप्रार्थी द्वारा अपने कब्जे में रखा गया खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड स्वागत (500 एमएल)** जो कि अलग–अलग पैकिंग में काफी मात्रा में भरा हुआ था, को मिलावट का होने के शक पर नियमानुसार **02 कि.ग्रा. घी ब्राण्ड स्वागत (500 एमएल)** वास्ते नमूना क्रय की जाकर नमूना संख्या **पी–883** अंकित कर इसकी जांच खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत कराये जाने हेतु प्रपत्र–5(ए) भरकर अप्रार्थी एवं गवाह व विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड स्वागत (500 एमएल)** का नमूना वास्ते जांच खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ **घी ब्राण्ड स्वागत (500 एमएल)** का नमूना **अवमानक (Sub-statndard)** पाये जाने पर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई, जिस पर अप्रार्थी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया। इस पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी बाड़मेर द्वारा यह परिवाद प्रस्तुत कर अप्रार्थी को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माना से दण्डित करने का निवेदन किया है।

2. अप्रार्थीगण को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा धारा 38(5) खाद्य सुरक्षा अधिनियम में यथा विहित उपबन्धों की पालना नहीं की गई हैं। अप्रार्थी के प्रतिष्ठान से लिये गये नमूना को मिथ्याछाप होना गलत उल्लेखित किया गया है जबकि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इसका अपने दस्तावेजों में कोई हवाला नहीं दिया हैं। जन विश्लेषक को धारा 46 के तहत रासायनिक जांच उपरांत ही रिपोर्ट दी जानी चाहिए जबकि यह रिपोर्ट आंखों से देखकर निरीक्षण कर रिपोर्ट दी गई हैं जो कतई नहीं दे सकता हैं। अप्रार्थीगण ने प्रार्थी व अन्य किसी का कोई नुकसान नहीं किया हैं और न ही कोई अनुचित लाभ प्राप्त किया है व अप्रार्थीगण का यह कृत्य बारम्बार का भी नही हैं। अप्रार्थीगण को उक्त उपबन्ध की जानकारी नहीं होने की वजह से निर्दोष हैं। स्वागत ब्राण्ड घी विख्यात है उनके पैकिंग का प्रतिनिधित्व न तो झूठा है और न ही गुमराह करने वाला है बल्कि घी का स्तर, पैकिंग लेबल खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर

सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र गलत व सारहीन होने से मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

3. अप्रार्थीगण सं. 3 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि अप्रार्थी की फर्म द्वारा पैकिंग किये गये खाद्य उत्पाद घी ब्राण्ड स्वागत की खाद्य सुरक्षा जांच प्रयोगशाला में विश्लेषण रिपोर्ट में सिर्फ Butyrorefractometer में 0.66 की माईनर त्रुटि बताई गई हैं जबकि अन्य सभी मानकों पर गुणवतापूर्ण पाया गया हैं। अप्रार्थी द्वारा अपने इस खाद्य उत्पाद की रीजनल फूड लेबोरेटरी राजकोट से जांच करवाई गई, जिसकी रिपोर्ट दिनांक 06.03.2019 में इसे सभी मानकों पर गुणवतापूर्ण होना पाया गया हैं। हस्तगत प्रकरण में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट की द्वितीय जांच यदि रैफरल प्रयोगशाला से करवाई जाती तो अवश्य ही इसी अनुसार ही प्राप्त होती। इस प्रकार इस माईनर त्रुटि के कारण अज्ञानतावश आपराधिक केस में प्रथम जुर्म मानकर लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर कम से कम जुर्माना किया जावें।

4. हमने प्रस्तुत परिवाद पर उभय पक्ष की बहस सुनी। प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत परिवाद का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी द्वारा कारित अपराध खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत जुर्माना से दण्डनीय है तथा खाद्य पदार्थों से सम्बन्धित सुरक्षा मानकों के प्रति उदासीनता मानव स्वास्थ्य के प्रति गम्भीर अपराध की श्रेणी मे माना गया है। अप्रार्थी सं. 1 के प्रतिष्ठान से लिये गये खाद्य पदार्थ के नमूना की खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त नमूना जांच रिपोर्ट दिनांक 22.03.2018 की प्रति जरिये नोटिस सूचित किये जाने पर उनके द्वारा उस पर कोई असहमति प्रकट नही की गई हैं। अप्रार्थी सं. 1 व 2 का कथन हैं कि उनके द्वारा विक्रय किया जा रहा खाद्य पदार्थ घी ब्राण्ड स्वागत गुणवतापूर्ण है जो विख्यात हैं। अप्रार्थी सं. 3 ने जवाब में प्रकट किया हैं कि खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में माईनर त्रुटि पाई गई है तथा यह भी प्रकट किया हैं कि उनके द्वारा अपने स्तर से खाद्य प्रयोगशाला राजकोट से जांच कराये जाने पर उक्त रिपोर्ट सही मानको पर पाई गई हैं। इसके उपरांत यह भी प्रकट किया हैं कि हस्तगत प्रकरण में जो माईनर त्रुटि पाई गई है जिसे अज्ञानतावश प्रथम अपराध मानते हुए कम से कम जुर्माना करने का निवेदन किया हैं अर्थात् अप्रार्थी सं. 3 ने जुर्म स्वीकारोक्ति प्रकट की हैं। लिहाजा अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्ध खाद्य

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला कलेक्टर बाड़मेर

सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उप धारा (2)(ii) का उल्लंघन करने के लिए अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्म प्रमाणित हैं।

5. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन उपरांत अप्रार्थी सं. 3 के विरूद्ध अपराध धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 3 पर रूपये 20000/– का जुर्माना अधिरोपित किया जाता है। अप्रार्थी उक्त जुर्माना राशि का बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बाड़मेर के नाम पेश करें, जो पेश होने पर सम्बन्धित अधिकारी को राजकोष मे जमा करवाने हेतु भिजवाया जावें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर दाखिल दफ्तर हों।

6. आदेश आज दिनांक 16.03.2020 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राकेश कुमार शर्मा)
न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट बाड़मेर